भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1264
दिनांक 29 जुलाई, 2021 को उत्तर के लिए

पोषण अभियान ऐप के संबंध में चिंतायें

1264. श्री संजय सिंहः

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि नई पोषण अभियान ट्रैकर ऐप के कारण देश में उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यधिक परेशानी उत्पन्न हो गयी है, जिनको सरकार द्वारा कोई मोबाइल फोन अथवा इंटरनेट पैकेज का रिचार्ज करने हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करवायी गयी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बनाने के क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह भी सच है कि पंजाब में अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च 2018 से उनकी बकाया धनराशि और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) : पोषण ट्रैकर प्रबंधन ऐप्लीकेशन आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की सेवा प्रदायगी तथा गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं तथा बच्चों के लिए पूर्ण लाभार्थी प्रबंधन का 360 डिग्री जायजा प्रदान करता है। साथ ही यह मोबाइल ऐप्लीकेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रयुक्त भौतिक रजिस्ट्ररों को डिजिटल भी करता है तथा उनके कार्य गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करता है।

पोषण ट्रैकर ऐप्लीकेशन लाभार्थियों के पोषण स्तर में सुधार तथा सेवाओं के शीघ्रता से प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण के लिए पूरक पोषण के प्रावधान की रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के आधार पर निर्मित किया गया है।

इसका उद्देश्य कुशल सेवा प्रदायगी के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केट (जेम) के माध्यम से खरीदे गए स्मार्ट फोन के प्रावधान के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को सशक्त बनाना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएफआर तथा सतर्कता संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार मोबाइल फोन खरीदने के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं लागू करने की सलाह दी गई है। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कुल 8.66 लाख स्मार्ट फोन खरीदे गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री तथा महिला पर्यवेक्षक को स्मार्ट फोन की रिर्चाचिंग के लिए 200 रुपये प्रतिमाह भी दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके मासिक निष्पादन के आधार पर क्रमशः 500 रुपये और 250 रुपये के प्रोत्साहन का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : आंगनवाड़ी सेवा योजना तथा पोषण अभियान के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई निधियों तथा राज्य द्वारा प्रयुक्त की गई निधियों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक

'पोषण अभियान ऐप के संबंध में चिंतायें' विषय पर श्री संजय सिंह द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) में संदर्भित विवरण

आंगनवाड़ी सेवा योजना तथा पोषण अभियान के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई निधियों तथा राज्य द्वारा प्रयुक्त की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपये)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पंजाब को जारी की गई निधियों की स्थिति			
		एसएनपी		सामान्य	
		निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि	निर्मुक्त निधि	प्रयुक्त निधि
1	2017-18	5282.25	808.74	13998.21	8816
2	2018-19	3744.1	5327.15	13411.95	13877.81
3	2019-20	5346.54	3517.45	13993.14	13993.14
4	2020-21	4341.15*	शून्य	12687.89*	शून्य

एसएनपी – पूरक पोषण कार्यक्रम
शून्य-उपलब्ध नहीं है। (राज्य सरकारों से यूसी/एसओई की प्रतीक्षा है) * 2020-21 की पहली तिमाही तक

आंगनवाड़ी सेवा योजना तथा पोषण अभियान के तहत पंजाब राज्य को जारी की गई निधियों तथा राज्य द्वारा प्रयुक्त की गई निधियों का विवरण

राज्य	वर्ष 2017-18 में निर्मुक्त केंद्रीय निधियां (लाख में)	वर्ष 2018-19 में निर्मुक्त केंद्रीय निधियां (लाख में)	वर्ष 2019-20 में निर्मुक्त केंद्रीय निधियां (लाख में)	वर्ष 2020-21 में निर्मुक्त केंद्रीय निधियां (लाख में)	31 मार्च 2021 के अनुसार प्रयुक्त कुल केंद्रीय निधियां (लाख में)	प्रयुक्त %
पंजाब	819.51	6090.33	0*	0*	2470.04	35.75

** पोषण अभियान के तहत पंजाब राज्य को निर्मुक्त कुल निधियों के विरुद्ध, राज्य ने 31 मार्च 2021 के अनुसार केवल 35.75 प्रतिशत प्रयुक्त किया है और शेष 64.25 प्रतिशत जिसका मूल्य 44439.8 लाख रुपये राज्यों के साथ उपलब्ध है।*

******